न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी :– **रामरतन सौंकरिया आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः 68 / 2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

जगमीत सिंह पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी रासूवाला तहसील संगरिया

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः– 1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2 श्री रविन्द्र जौल अप्रार्थी अधिवक्ता।

–ःनिर्णयः–

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

दिनांकः–18.08.2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.07.2021 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ हमराह कार्यालय स्टाफ के साथ पेट्रोल–डीजल की अवैध तस्करी, भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम विरूद्ध अभियान के तहत संगरिया में महिन्द्रा पिकअप नम्बर PB-09-X-1814 को रूकवाकर वाहन की तलाशी ली गई। मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष तलाशी के दौरान 800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (MTO) मय 7 प्लास्टिक ड्रम व 1 प्लास्टिक कैनी मिली। वाहन चालक ने स्वंय का नाम जगमीत सिंह पुत्र राजेन्द्र कुमार उम्र 20 वर्ष जाति यादव निवासी रासूवाला तहसील संगरिया का होना बताया। मुताबिक जगमीत उक्त पिकअप में भरा समस्त पेट्रोलियम पदार्थ कमल गर्ग (एजेन्सी वर्ल्ड कैंचिया) से खरीद कर आस–पास के किसानों को विक्रय किया जाता है और पेट्रोलियम पदार्थ के संबंध में कोई वैध दस्तावेज लाईसेंस, परमिट आदि नहीं होना बताया। मौके पर पाये गये 800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (MTO) मय 7 प्लास्टिक ड्रम व 1 प्लास्टिक कैनी संबंध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (MTO) मय 7 प्लास्टिक ड्रम व 1 प्लास्टिक कैनी तथा महिन्द्रा पिकअप नम्बर PB-09-X-1814 को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री जगदीश पुत्र श्री कान्हाराम उम्र 49 वर्ष जाति नायक हाल हैड कॉन्स्टेबल पुलिस थाना संगरिया को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार नाम जगमीत सिंह पुत्र राजेन्द्र कुमार उम्र 20 वर्ष जाति यादव निवासी रासूवाला तहसील संगरिया द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्चवेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लंघन किया गया है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए प्रस्तुत कर राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ द्वारा निवेदन किया गया कि जब्त 800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (MTO) मय 7 प्लास्टिक ड्रम 1 प्लास्टिक कैनी को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ (MTO) को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 14.07.2021 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब नोटिस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम व प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि जब्तशुदा डीजल कृषि कार्य के लिए घरेलू उपयोग में कृषि कार्य के लिए उपयोग हेतु डीजल लेने के लिए परिवहन किया जा रहा था। राजस्थान सरकार व

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

भारत सरकार के गजट नोटिसफिकेशन के अनुसार 2500 लीटर डीजल तक कृषि कार्य के उपयोग हेतु परिवहन किया जा सकता है और अप्रार्थी अपने कृषि कार्य के व ट्रैक्टर आदि में डालने के लिए ही उक्त डीजल लाया था। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना में अंकित किया कि उक्त वाहन जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्त किया गया है। उक्त वाहन का अप्रार्थी स्वामी है। अप्रार्थी उक्त वाहन का चलाकर अपनी आजीविका चलाता है, जिसके लिए अप्रार्थी को उक्त वाहन की हर समय आवश्यकता रहती है। उक्त वाहन के जब्ती के दौरान रंग–रोगन, टायर–टयूब व ईन्जन इत्यादि में अभियांत्रिक खराबी होने का अन्देशा है, जिससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अप्रार्थी द्वारा सुपुर्दगी में दिये वाहन को खुर्द–बुर्द एवं अन्तरण नहीं करेगा और अदालत हाजा के हर आदेश की पालना करता रहेगा। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध स्टेट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी की महिन्द्रा पिकअप नम्बर **PB-09-X-1814** मय 800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (MTO) मय 7 प्लास्टिक ड्रम व 1 प्लास्टिक कैनी को वापस लौटाये जाकर जब्ती की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्तशुदा डीजल को ड्रम के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल तेल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जब्तशुदा डीजल कृषि कार्य के लिए घरेलू उपयोग में कृषि कार्य के लिए उपयोग हेतु डीजल लेने के लिए परिवहन किया जा रहा था। राजस्थान सरकार व भारत सरकार के गजट नोटिसफिकेशन के अनुसार 2500 लीटर डीजल तक कृषि कार्य के उपयोग हेतु परिवहन किया जा सकता है और अप्रार्थी अपने कृषि कार्य के व ट्रैक्टर आदि में डालने के लिए ही उक्त डीजल लाया था। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाहन जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्त किया गया है। उक्त वाहन का अप्रार्थी स्वामी है। अप्रार्थी उक्त वाहन का चलाकर अपनी आजीविका चलाता है, जिसके लिए अप्रार्थी को उक्त वाहन की हर समय आवश्यकता रहती है। उक्त वाहन के जब्ती के दौरान रंग–रोगन, टायर–टयूब व ईन्जन इत्यादि में अभियांत्रिक खराबी होने का अन्देशा है, जिससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः जब्तशुदा वाहन मय डीजल अप्रार्थी को लौटाकर प्रार्थी (अप्रार्थी सं0 01) के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ना ही तलाशी के दौरान यह सिद्ध किया कि उसके पास खुद की कितनी कृषि भूमि है, जिसके लिए उसे लगातार डीजल का परिवहन करना पड़ रहा है। अप्रार्थी ने तलाशी के वक्त कोई वाहनों के स्वामित्व के दस्तावेजों एवं कृषि भूमि के दस्तावेज यथा जमाबंदी आदि प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया है उससे अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु परिवहन किये जाने का तर्क साबित नहीं होता है। यह पश्चातवर्ती (After thought) तर्क है। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर 800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (MTO) मय 7 प्लास्टिक ड्रम व 1 प्लास्टिक कैनी को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 14.07.2021 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

जहां तक जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा पिकअप नम्बर PB-09-X-1814 का प्रश्न है, वाहन मालिक के विरूद्ध दस हजार रूपये मात्र (10,000/–) की शास्ति के साथ केवल मात्र इस न्यायालय में दर्ज उक्त दर्ज धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रकरण में जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा पिकअप नम्बर PB-09-X-1814 को जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है।

अतः जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड मालिक द्वारा वाहन के मालिकाना दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर उक्त जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा पिकअप नम्बर PB-09-X-1814 के इंजिन नं0 व चैसिस नम्बर, वाहन की पंजीयन कॉपी (आरसी) से मिलान सही पाये जाने पर नियमानुसार शास्ति प्राप्त कर वाहन मालिक को सौंप दिया जाये। यदि वाहन मोडिफाई (Modified) है, तो जिला परिवहन विभाग से निरीक्षण करवाकर, मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होने पर आवश्यक कार्यवाही करवाकर ही वाहन मालिक को सौंपने की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(रामरतन सौकरिया)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़